

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1328] No. 1328] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2019/चैत्र 12, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2019/CHAITRA 12, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली. 2 अप्रैल. 2019

का.आ. 1500(अ).— केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 3 के खण्ड (ख) के उप-खंड (iv) के अनुसरण में, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित युक्ति को मानव में आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए तुरंत प्रभाव में औषधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात:—

"अंग परिरक्षी घोल"

[फा.सं. एक्स. 11014/7/2019-डीआर]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2019

S.O. 1500(E).— In pursuance of sub-clause (iv) of clause (b) of section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby specifies the following device intended for external or internal use in human beings as drugs with immediate effect, namely:—

"Organ preservative solution"

[F. No. X. 11014/7/2019-DR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.

1990 GI/2019